भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1178
(जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 27 जुलाई, 2026/5 श्रावण, 1948(शक) को दिया जाना है)

एकीकृत माल और सेवा कर राजस्व का प्रभाजन और निपटान

1178 . श्री के. राधाकृष्णनः
एडवोकेट डीन कुरियाकोसः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केरल सहित किसी राज्य सरकार ने एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) राजस्व के प्रभाजन और निपटान के संबंध में चिंता व्यक्त की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य- वार ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;
(ग) क्या माल और सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन के बाद से एकीकृत माल और सेवा कर के निपटान में कोई विसंगतियां, विलंब या अनियमितताएं देखी गई हैं;
(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार ने एकीकृत माल और सेवा कर निपटान तंत्र का कोई लेखापरीक्षा, समीक्षा या स्वतंत्र मूल्यांकन कराया है;
(च) यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और
(छ) क्या सरकार का मौजूदा एकीकृत माल और सेवा कर निपटान ढांचे को सुदृढ़ करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) से (छ): माल एवं सेवा कर परिषद ने नई दिल्ली में दिनांक 9 सितंबर, 2024 को आयोजित अपनी 54वीं बैठक में अधिकारियों की माल और सेवा कर निपटान संबंधी समिति के गठन को मंजूरी दी है। तदनुसार, माल और सेवा कर निपटान से संबंधित मुद्दों की जांच करने और निपटान तंत्र में सुधार के लिए उपायों की सिफारिश करने के लिए केरल सहित केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के अधिकारियों से युक्त अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें माल और सेवा कर लेखों में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों शेष राशि के प्रभाजन के लिए विधायी संशोधनों, प्रणाली संवर्धन और फॉर्मूले में सुधार के प्रस्ताव शामिल थे।

समिति के प्रमुख निर्णयों को नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है: -

(क) निपटान प्रक्रिया में अनियमितताएं उत्पन्न करने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के असामान्य रिवर्सल के मामलों पर विचार करने हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया(एसओपी) बनाई गई।

(ख) प्ररूप जीएसटीआर-3बी की संरचना के साथ अपात्र क्रेडिट और समय-बाधित क्रेडिट का संरेखण। विशेष रूप से, एसटीएल 1.06 जो मुख्य रूप से घरेलू अपात्र क्रेडिट को कवर करता है और एसटीएल 1.10 जो आयात से संबंधित अपात्र क्रेडिट से संबंधित है, को विलय के लिए अनुमोदित किया गया था। इसी तरह, एसटीएल 1.11 को एसटीएल 1.07 के साथ विलय करने के लिए अनुमोदित किया गया था।

(ग) नियमों में संबंधित अनुभाग संख्या, नियम संख्या और स्रोतों का समावेश किया गया।

(घ) उन क्षेत्रों में आवश्यक स्पष्टीकरण के उपबन्ध बनाए गए, जहां मौजूदा नियमों में सटीकता की कमी थी।

अधिकारियों की समिति के निष्कर्षों की रिपोर्ट को जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद, जीएसटी कार्यान्वयन समिति की मंजूरी के साथ, माल एवं सेवा कर निधि निपटान नियम, 2026 को अधिसूचित किया गया और अधिकारियों की समिति की सिफारिश को शामिल करते हुए 30 मार्च, 2026 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। अधिकारियों की समिति द्वारा अनुशंसित मानक संचालन प्रक्रिया को भी लागू किया गया है।
